कार्यालय,निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0।

पत्रांक– 2818/ आ0बा0 / स्वा0से0 / 2017–18, दिनांक 28 दिसम्बर,2017

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी / प्रभारी,
उत्तर प्रदेश।

कृपया प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या– एस0पी0एम0यू0 / कम्यु0प्रो0 / ए0ए0ए0 / 2013–14 / 69 दिनांक 12.12.2017 का लें, जो आपको पृष्ठांकित है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा समुदाय स्तर पर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार लाने के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है, यथा–

1– **स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस ।**
2– **बाल स्वास्थ्य पोषण माह, वजन दिवस।**
3– **अन्य समुदाय स्तरीय गतिविधियाँ।**

इन समुदाय स्तरीय कार्यक्रमों के सफल संचालन हेतु प्रथम पंक्ति की कार्यकत्रियों यथा–ए0ए0ए0एम0, आगनबाड़ी एवं आशाओं के मध्य आपसी समन्वय किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। उक्त उद्देश की प्राप्ति हेतु प्रत्येक उपकेन्द्र क्षेत्र में कार्यरत समस्त ए0एन0एम0, आंगनबाड़ी व आशा की पाक्षिक बैठक आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। यह बैठक उपकेन्द्र अथवा उपकेन्द्र क्षेत्र के मध्य अन्य किसी सार्वजनिक स्थान यथा आंगनबाडी केन्द्र, पंचायत भव, विद्यालय आदि पर आयोजित की जा सकती है। यह बैठक प्रत्येक माह मे दो बार (प्रथम एवं तृतीय गुरूवार) प्रातः 11.00 बजे से अपरान्ह 01.00 बजे तक आयोजित की जायेगी। यदि गुरूवार को अवकाश या अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रम से सम्बन्धित गतिविधि की जानी हो तो उक्त बैठक अगले कार्यदिवस मे आयोजित की जायेगी।

उपकेन्द्र स्तरीय प्रथम पंक्ति की कार्यकत्रियों की बैठक में निम्न एजेण्डा बिन्दुओं पर नियमित रूप से चर्चा की जानी चाहिए--

1– प्रत्येक माह आयोजित किए जाने वाले पी0एच0एन0डी0 सत्र हेतु लाभार्थियों की सूची(ज़ीरो लिस्ट) की एकरूपता (प्रथम पंक्ति की कार्यकत्रियों–ए0एन0एम0, आंगनबाड़ी, आशा)सुनिश्चित किया जाना।
2– टीकाकरण हेतु छूटे हुये लाभार्थियों का चिन्हीकरण एवं शत् प्रतिशत आच्छादन किया जाना।
3– समस्त गर्भवती महिलाओं विशेषकर उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं का शीघ्र पंजीकरण एवं कम से कम तीन बार प्रसव पूर्व देखभाल सुनिश्चित किया जाना।
4– उपकेन्द्र क्षेत्र में शत् प्रतिशत गर्भवती महिलाओं का संस्थागत प्रसव सुनिश्चित कराया जाना।
5– राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत उपकेन्द्र क्षेत्र में आने वाले समस्त विद्यालयों एवं आंगनबाडी केन्द्रों में होने वाले स्वास्थ्य परीक्षण में सहयोग प्रदान करना।
6– उपकेन्द्र क्षेत्र में गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल के अन्तर्गत उच्च जोखिम वाले नवजात शिशु तथा माताओं के सम्बन्ध में चर्चा एवं आवश्यकतानुसार संदर्भन करना ।
7– उपकेन्द्र क्षेत्र में चिन्हित अति कुपोषित बच्चों पर चर्चा करना एवं आवश्यकतानुसार पोषण पुर्नवास केन्द्रों पर संदर्भित करना ।
8– पोषण पुर्नवास केन्द्रों से वापस आने के पश्चात लाभार्थियों का फालोअप करना ।
9– आशा, ए0एन0एम0 व आंगनबाड़ी के अभिलेखों का मिलान एवं अद्यतन किया जाना।

प्रत्येक माह, मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी –आई0सी0डी0एस0, ब्लाक स्तरीय अधीक्षक / प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की जाये, जिसमें उपकेन्द्र स्तरीय प्रथम पंक्ति की कार्यकत्रियों की समीक्षा की जायेगी।

उपरोक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

28/12/17
(राजेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक।